न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2013 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.04.2013
G.C.M.S. NO. :_ 2013/00023

किशनलाल पिता चुन्नीलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी गरदाना, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्रीमति श्यामूबाई पुत्री जीतमल जाट, आयु वयस्क, निवासी गरदाना, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत गरदाना, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गरदाना, पंचायत समिति, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 50 दिनांक 02.02.2013 ग्राम पंचायत गरदाना, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 के द्वारा निगराकार की पैतृक कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 992/1 रकबा 3 बिस्वा जो आबादी हल्के से लगी हुई होकर बाडे के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है उक्त आराजीयात के सामने जो कि निगराकार के

बाडे का रास्ता है जो मौके पर खाली पड़ा है उक्त रास्ते की भूमि का प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में बिना किसी जांच पड़ताल के गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत गरदाना द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 02.02.2013 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गरदाना ने अपने पत्रांक/पंचायत/13-14/89 दिनांक 22.04.2014 से पट्टे संबंधित रेकार्ड प्रस्तुत किया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, गरदाना ने निगराकार की पैतृक कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 992/1 रकबा 3 बिस्वा जो कि बाडे के रूप में उपयोग-उपभोग हो रही है उक्त आराजीयात के सामने जो कि निगराकार के बाडे का रास्ता है और मौके पर खाली पड़ा है जिसका निगराकार, निगराकार के पिता व काका एवं विपक्षीया के पिता अपने बाडे के रूप में उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त तथ्यों की जांच किए बिना उक्त रास्ते की भूमि पर विपक्षीया को प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 मे 20 बाई 15 का पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टे की भूमि खाली पड़ी होकर निगराकार रास्ते के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त तथ्यों की जांच-पड़ताल किए बिना अभियान के तहत पट्टा जारी कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत गरदाना द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 02.02.2013 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गरदाना ने पूर्ण जांच के पश्चात् प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के शिविर में उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में विपक्षी संख्या 1 को विधिवत् पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने से पूर्व राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों की पालना की जाकर पट्टा जारी किया है। विपक्षीया श्यामूबाई को उसके पति चम्पालाल निवासी पीपलखेड़ी ने दूसरा विवाह कर लिया एवं वर्ष 2004 से ही विपक्षीया का परित्याग कर दिया। इस कारण विपक्षीया अपने पिता के गांव मे ही रह रही है उसके पिता गरीब होने तथा अन्य

भाई–बहिन होने से उसके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होने के कारण विपक्षीया को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। विपक्षीया के पास रहने का कोई आवास नहीं है विपक्षीया वर्ष 2004 से ही गरदाना में निवास कर रही है विपक्षीया बी. पी. एल. श्रेणी मे चयनित होकर उसका अलग से राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, श्रमिक पंजीयन कार्ड एवं रसोई गैस का कार्ड आदि दस्तावेज गांव गरदाना के ही बने हुए हैं। विपक्षीया परित्यकता एवं पात्र होने से ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीया को 20 बाई 15 का छोटा सा भूखण्ड का पट्टा जारी किया है जो मजमेआम उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में पंचायती राज अधिनियमों की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया है। निगराकार द्वारा बिना किसी वैध आधारों के निगरानी प्रस्तुत की है जो कि निगराकार पट्टा खारिज कराकर विपक्षीया का भूखण्ड हड़पना चाहता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के पड़ौस में पश्चिम दिशा में रास्ता बता रखा है जिससे स्पष्ट है कि पट्टा रास्ते की भूमि पर नहीं दिया गया है एवं मौके पर रास्ता मौजूद है। अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा पूर्ण जांच पडताल के बाद जारी होने से विधि अनुसार है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता निगराकार ने रिबटल में कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 का विधवा अथवा परित्यकता होने से कोई संबंध नहीं है विपक्षी संख्या 1 जीतमल की लड़की है तथा जीतमल की सम्पत्ति में हिस्सेदार है जिससे विपक्षीया ने सरपंच से मिली भगत कर पट्टा जारी कराया है एवं रास्ते की भूमि पर पट्टा होने से निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 1 का तलाक नामा, बी. पी. एल. कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग से जारी परिचय पत्र, श्रमिक कार्ड, रसोई गैस कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि का अवलोकन किया जिनमें सभी दस्तावेजो में विपक्षी संख्या 1 के निवास का पता ग्राम गरदाना दर्शाया हुआ है जिससे प्रमाणित है कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम गरदाना, तहसील भदेसर में निवास कर रही है तथा बी. पी. एल. श्रेणी में चयनित है।

''राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसारः–''पंचायत गांव आबादियों में, 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित

परिवारों, विकलांगों आदि जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी तथा उप नियम 2 के तहत ऐसी भूमियों को व्यक्तियों को कुछ श्रेणियों के लिए निः शुल्क भी आवंटित कर सकेगी।'' अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 बी. पी. एल. श्रेणी एवं श्रम मजदूरी पर आधारित होकर परित्यकता महिला है जो कि निः शुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र है।

जहां तक अधिवक्ता निगराकार का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी कर दिया तथा उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि निगराकार अथवा उसके अधिवक्ता ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टे वाला भूखण्ड रास्ते की भूमि पर स्थित होने तथा निगराकार का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

अधिवक्ता निगराकार यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो। साथ ही अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 02.02.2013 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)